संत गहिरा गुरू विश्वविद्यालय, सरगुजा, अम्बिकापुर (छ.ग.)

(छ.ग. विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 18/2008 द्वारा स्थापित)

Website www.sggvscg.ac.in E-Mail id : registrarsua@yahoo.in, exam.sggvsa@gmail.com

क्रमांक /1253/ परीक्षा / प्रवेश / 2026 | अम्बिकापुर, दिनांक 21 / 09 / 2026

प्रति,

प्राचार्य,
समस्त संबद्ध महाविद्यालय,
संत गहिरा गुरू विश्वविद्यालय, सरगुजा
अम्बिकापुर, (छ.ग.)

विषयः— शैक्षणिक सत्र 2026—27 में NEP-2020 अंतर्गत स्नातक पाठयक्रमों के पंचम सेमेस्टर में प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर में अनुत्तीर्ण/ATKT विद्यार्थियों को सशर्त प्रावधिक प्रवेश प्रदान करने के संबंध में।

——00——

लेख है कि छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर द्वारा जारी आदेश क्रमांक **GENCOR/24976/2026/38-2** दिनांक **07-09-2026** के माध्यम से **NEP-2020** अंतर्गत संचालित स्नातक पाठ्यक्रमों के प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर में **ATKT** प्राप्त विद्यार्थियों के शैक्षणिक हित को दृष्टिगत रखते हुए, शैक्षणिक सत्र **2026-27** में पंचम **(V)** सेमेस्टर में सशर्त प्रावधिक प्रवेश प्रदान करने की अनुमति प्रदान की गई है। आदेश में यह स्पष्ट किया गया है कि ऐसे विद्यार्थियों को प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर के **ATKT** की परीक्षाएं नियमित विद्यार्थियों के साथ शैक्षणिक सत्र **2026-27** हेतु निर्धारित परीक्षा कार्यक्रम के अनुसार उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा।

अतः शासन के उक्त आदेश के अनुपालन में संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय, सरगुजा, अम्बिकापुर से संबद्ध महाविद्यालयों में **NEP-2020** अंतर्गत स्नातक पाठ्यक्रमों के ऐसे विद्यार्थी, जो प्रथम एवं/अथवा द्वितीय सेमेस्टर में अनुत्तीर्ण/**ATKT** हैं, को नियमानुसार ''पंचम सेमेस्टर में सशर्त प्रावधिक प्रवेश'' प्रदान किये जाने की कार्यवाही करें। साथ ही विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रमांक—55 के कंडिका 9 के उप कंडिकाओं में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार प्रमोट करें तथा प्रवेश देना सुनिश्चित करें।

जिन छात्रों को विगत वर्षो में प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर में सभी प्रश्नपत्र उत्तीर्ण नहीं कर पाने या **ATKT/DETAINED** होने के कारण या किसी भी अन्य कारण से किया गया है, उन्हें शासन के आदेश और विश्वविद्यालय के संबंधित अध्यादेश विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रमांक—55 के कंडिका 9 के उप कंडिकाओं में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार प्रमोट करें तथा प्रवेश देना सुनिश्चित करें।

ऐसे विद्यार्थियों का प्रवेश पूर्णतः ''सशर्त एवं प्रावधिक'' रहेगा तथा उन्हें प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर की **ATKT** परीक्षाएं निर्धारित परीक्षा कार्यक्रम के अनुसार उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। संबंधित महाविद्यालयों द्वारा ऐसे विद्यार्थियों के प्रवेश एवं परीक्षा संबंधी अभिलेखों का आवश्यक रूप से संधारण किया जाना होगा। प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत ऐसे विद्यार्थियों की पृथक सूची/अभिलेख परीक्षा विभाग में प्रेषित करने, संबंधित महाविद्यालयों को आवश्यक सूचना/निर्देश जारी किया जाना प्रस्तावित है।

(माननीय कुलपति द्वारा अनुमोदित)

उप कुलसचिव (परीक्षा)
संत गहिरा गुरू विश्वविद्यालय, सरगुजा
अम्बिकापुर (छ.ग.)

पृ॰ क्रमांक /1254/ परीक्षा / प्रवेश / 2026 | अम्बिकापुर, दिनांक 21 / 09 / 2026

प्रतिलिपि —

1. माननीय कुलपति के निज सचिव, संत गहिरा गुरू विश्वविद्यालय, सरगुजा अम्बिकापुर
2. कुलसचिव, संत गहिरा गुरू विश्वविद्यालय, सरगुजा अम्बिकापुर
3. उप कुलसचिव/ओ.एस.डी. (गोपनीय/अकादमिक), संत गहिरा गुरू विश्वविद्यालय, सरगुजा अम्बिकापुर

— की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

21.09.26

सहायक कुलसचिव (परीक्षा)
संत गहिरा गुरू विश्वविद्यालय, सरगुजा
अम्बिकापुर (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर

//आदेश//

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 07-09-2026

क्रमांक GENCOR/24976/2026/38-2 :: राज्य शासन, एतद्द्वारा स्नातक प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर में ATKT प्राप्त विद्यार्थियों के शैक्षणिक हित के दृष्टिगत अकादमिक सत्र 2026-27 के पंचम (5th) सेमेस्टर में सशर्त प्रावधिक प्रवेश प्रदान करने की अनुमति देता है।
शर्तः- ऐसे विद्यार्थियों को प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर के ATKT की परीक्षाएं नियमित विद्यार्थियों के साथ अकादमिक सत्र 2026-27 के लिए नियमित निर्धारित परीक्षा कार्यक्रम अनुसार उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

Digitally signed by
"LEENA RAKESH"
Date: 07-09-2026
14:10:01

(लीना राकेश)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग

पृ.क्र. GENCOR/24976/2026/38-2 नया रायपुर, दिनांक 07-09-2026
प्रतिलिपिः-

1. विशेष सहायक, मान. मंत्रीजी, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर, (छ.ग.)।
2. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, रायपुर, (छ.ग.)।
3. निज सचिव, सचिव, छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर, (छ.ग.)
4. सचिव, छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, सेक्टर-24, ब्लॉक 7B, ग्राउंड फ्लोर नवा रायपुर अटल नगर रायपुर, (छत्तीसगढ़)
5. समस्त क्षेत्रीय अपर संचालक, छत्तीसगढ़
6. कुलपति/कुलसचिव समस्त शासकीय एवं निजी विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
7. आदेश फोल्डर।